न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 408 / 2017

आरसीएमएस नं. 2017 / 00338

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

1. चिमनाराम
2. मुंशीराम

} पि0 स्व0 नानू जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

3. भागीरथ पुत्र अमराराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व0 डूंगर
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 डूंगर
3. हेतराम पुत्र भैराराम
4. पूर्णराम पुत्र भैराराम

} जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

5. बलवंतराम पुत्र
6. लक्ष्मणदास

} स्व0 श्री मुखराम पुत्र. स्व0 नानूराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. हनुमान पुत्र श्री बीरबलराम जाति बावरी निवासी 19 बी बी तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।

8. पूनम
9. सोनू

} पुत्रिया श्री हनुमान व माता स्व0 सरबती पुत्री स्व0 नानूराम जाति निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. मोहरा पत्नी अमराराम पुत्र नानूराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

11. रामकुमार पुत्र अमराराम अकवाम बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला (फौत)

11/1 चावली देवी पत्नी स्व0 रामकुमार
11/2 सुनील पुत्र स्व0 रामकुमार
11/3 प्रदीप पुत्र स्व0 रामकुमार

} निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।

Lanio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. सूर्यप्रकाश पुत्र अमराराम अकवाम बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. मीरा देवी पुत्री स्व0 अमराराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमागनढ।
14 लीलादेवी पुत्री स्व0 अमराराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
15 राजकुमार
16 पवन कुमार } पुत्रगण स्व0 भंवर सिंह अकवाम बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. चावली
18. राजबाला } पुत्रीयॉ स्व0 भंवर सिह अकवाम बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. राजू पुत्र स्व0 गीता उर्फ जीता देवी पुत्री सुरजाराम पुत्र स्व0 नानूराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
20. अर्जनराम पुत्र स्व0 तुलछी पुत्री स्व0 नानूराम जाति बावरी निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. ओमप्रकाश
22. कालूराम
23. राजू
24. सुनील } पि0 स्व0 रेशमा पत्नी स्व0 देवीलाल पुत्र. मुस्मात तुलसी पुत्री स्व0 नानूराम अकववाम बावरी निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
25. नाकराम पुत्र पूर्णमल जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ। (फौत)

25/1 बीरबलदास पुत्र नानकराम (फौत)

25/1/1 शंकरलाल पुत्र बीरबलदास

25/1/2 छगललाल उर्फ विद्यासागर पुत्र बीरबलदास

25/1/3 सुन्दरदास पुत्र बीरबलदास

25/1/4 भंवरलाल पुत्र बीरबलदास –फौत

25/1/4/1 रितेश पुत्र भंवर लाल

25/1/5 विद्या सागर पुत्र बीरबलदास

25/2/1 दीनदयाल

25/2/2 जगदीश प्रसाद

25/2/3 मनमोहन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

25/3 हनुमान प्रसाद पुत्र नानकराम –फौत

25/3/1 प्रदीप

25/4 बृजलाल पुत्र नानकराम–फौत

25/4/1 मगतराम

25/4/2 भंवर लाल

25/4/3 खुशीराम

25/5 गौरीशंकर पुत्र बृजलाल –फौत

25/5/1 प्रदीप

25/5/2 रवि प्रकाश

26. सतीश कुमार पुत्र श्री रामलाल जाति धानक निवासी वार्ड नं. 8 सैक्टर नं 12 हनुमानगढ।

27. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

–– रेस्पोडेंट्स

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर हनुमानगढ, दिनांक 13.11.2017,

प्र. सं. 221/2014 अनवान चिमनाराम बनाम हनुमान आदि

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री जोधासिह, एवं श्री महेन्द्र सिह अभिभाषक रेस्पे0सं0 3, 4

श्री रवि कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7

श्री रविन्द्र भोभिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 व मृतक प्रतिवादिया राधादेवी पत्नी भैराराम ने अधीनस्थ न्यायालय के एमक्ष धारा 88 व 188 आरटीएक्ट का वाद पेश किया। वादपत्र की चरण संख्या 3 (क) में वर्णित चक 16 एचएमएच की कुल 3.036 है0 भूमि पर अपना 50–60 वर्षों से कब्जा होना बताते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने व अपने कब्जा काश्त में दखलंदाजी ना करने हेतु वाद में अनुतोष चाहा। जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ता 27 के सम्मन समाचार पत्र में साया करवाये गये एवं उनके उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद दिनांक 09.10.2014 को डिक्री किया गया। एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट ने आदेश 9 नियम 13 व 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 13.11.2017 खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ–पत्र में यह तथ्य पूर्णतया साबित किया था कि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट पर मूल वाद में जारी सम्मन पर कभी भी विधिवत तामील नहीं हुई। अपीलाण्ट ग्राम कोहला में अपने परिवार सहित रहते है। तामील कुनिन्दा कभी भी सम्मन लेकर नहीं गया। सम्मन पर गलत रूप से आबाद मकान पर चस्पान्दगी की रिपोर्ट की है। जबकि आदेश 5 नियम 17 के तहत न्यायालय के आदेश के बिना आबाद मकान पर सम्मन चस्पा नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय ने सम्मन दैनिक अखबार दैनिक तेज में सम्मन प्रकाशित करवाये हैं परन्तु उक्त समचार पत्र का प्रकाशन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होता दैनिक तेज केवल हनुमानगढ में प्रकाशित होता है। वाद के प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 का स्थाई निवास राजपुरा तहसील अबोहर पंजाब है। उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी सम्मन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशत करवा कर एकपक्षीय कार्यवाही की है जो विधि विरूद्ध है। प्रतिववादी संख्या 4 पूनम, प्रतिवादी संख्या 5 सोनू, प्रतिवादी संख्या 19 अर्जुन का स्थाई पता गांव कोहला अंकित किया है जबकि वे यहां नहीं रहते हैं परन्तु विचारण न्यायलाय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। संयुक्त खाता की भूमि पर प्रतिकूल धारण के आधार खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (27) 2020 पेज 51, आरबीजे (11) 2004 पेज 38, आरबीजे (25)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2018 पेज 63, आरआरडी जन 2004 पेज 9, 2017(4) डीएनजे (राज.) पेज 1825, आरआरटी 2017 (2) पेज 1047 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की तामील विधि सम्मत तरीके से करवाई गई है। अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है सम्मन ना लेने की स्थिति में सम्मन तामील चस्पांदगी पर दिखाई गई जिसके उपरान्त अखबार मे साया करवा गया। जिसमें किसी प्रकार की विधि त्रूटि नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय के सम्मन दैनिक अखबार में अपीलाण्ट के सम्मन तामील करवाये गये है जबकि वाद के प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 का स्थाई निवास राजपुरा तहसील अबोहर पंजाब में रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 4 पूनम, प्रतिवादी संख्या 5 सोनू, प्रतिवादी संख्या 19 अर्जुन का स्थाई पता गांव कोहला अंकित किया है जबकि वे यहां नहीं रहते हैं। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया हैं। रेस्पोडेण्ट ने प्रतिकूल धारण के आधार पर घोषणा चाही थी जो स्वीकार की गई है। जबकि संयुक्त खात की भूमि पर प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि का सह खातेदार काश्तकार है एवं उसको सुने बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रतिकूल धारण के आधार रेस्पोडेण्ट का वाद डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट सह खातेदार काश्तकार होने के कारण उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)